

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/133816/GZB/GHAZIABAD/7547/JD

दिनांक: 09-10-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SGS CONSTRUCTION AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **MAYFLOWER AT THE PRESTIGE CITY ON Kh NO.10P,11 Etc,AKBARPUR, BEHRAMPUR And Kh NO. 164M, ETC. MIRZAPUR,GHAZIABAD** तहसील - **GHAZIABAD** प्लॉट एरिया **27107.82 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **161883.70** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **4** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK 1 AT F1 AND F2	42	2	134.85 mt.
BLOCK 2 AT G1 AND G2	42	2	134.85 mt.
BLOCK 3 AT COMMUNITY	3	2	15.80 mt.
NURSERY SCHOOL	2	0	08.00 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **SGS CONSTRUCTION AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **SGS CONSTRUCTION AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : FSO/CFO/DD द्वारा प्रेषित संस्तुति आख्या के अनुसार यह अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि कम्युनिटी सेंटर ब्लॉक में निकास मार्गों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिये एक अतिरिक्त स्टेयरकेस का निर्माण किया जाना वांछनीय होगा तथा भवन के अध्यासन/प्रयोग से पूर्व उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम/नियमावली/NBC-2016 के अनुसार समस्त अग्निशमन/ढाँचागत व्यवस्थायें (यथा-फायर एक्सटिंग्यूशर, होजरील, वेटराइजर, यार्ड हाइड्रेंट, आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, मोइफा सिस्टम, आटोमैटिक डिटेक्शन&एलार्म सिस्टम, भूमिगत टैंक, फायर पम्प, एक्जिट साइनेज, स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम, फायर टावर, रिफ्यूज एरिया, प्रशिक्षित स्टॉफ इत्यादि) का व्यवस्थापन कराकर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(VIJAY KUMAR SINGH)

[6B69A6F82444F507AF4257EB7FD12AE85CECFE7E]

22-10-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 22-10-2024
स्थान : LUCKNOW



भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY ROORKEE

सिविल अभियांत्रिकी विभाग
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING
रुड़की – 247 667, उत्तराखण्ड, भारत
ROORKEE-247 667, UTTARAKHAND, INDIA

Fax/फैक्स: 01332-275568, 273560

Tele/फोन : 01332-284319, 285219

E-mail/ई-मेल : civil@iitr.ac.in

CED/BS/Consl./2024

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

8 October, 2024

Subject: Proof Checking of Design and Drawings of Proposed Group Housing 'Mayflower at The Prestige City' at Ghaziabad for M/S SGS Construction & Developers Pvt. Ltd., R-10 Green Park, New Delhi – 110016

This is to certify herewith that the drawings and structural calculations of the of Proposed Group Housing 'Mayflower at The Prestige City' at

Khasra Nos 10,11,12,14,22,23,24,28M,29P,30P,31P,32P,33P,45M at Village Akbarpur and Behrampur, Ghaziabad

Khasra Nos 164M,165M,166P at Village Mirzapur, Ghaziabad

have been checked and found to be conforming to codes of practice as per the relevant India/other Standards, on the basis of the design data provided by the Structural Consultants M/S Civtech, A-45, Sector 4, Noida, Dist Gautam Buddh Nagar, UP.

The project consists of the following:

1. 4 Buildings in which 2 Buildings (F1, F2) with the name 'Block 1'. 2 Buildings (G1, G2) with the name 'Block 2' with 2B+G+41 floors and 1 Club House having name 'Block 3' with 2B+ G+2 floors.
2. 1 Nursery school with 2B+ G+1 floors

All the stipulated combinations of gravity load and other relevant loads have been considered and are duly incorporated in the analysis and design. Signed drawings and design reports have been checked for design. The opinion contained with this letter is the undersigned professional opinion and should not be considered as the opinion of IIT Roorkee as a whole.

The responsibility of the undersigned shall be limited to checking of structural design calculations and drawings only. All procedural/ legal/ operational matters and architectural/ functional details will be the responsibility of the owner. It is expected to use specified material grades, proper quality control and construction practices. However, it may be noted that the assurance on quality control is not within the scope of the proof check.

Dr. Bhupinder Singh Oct. 08, 2024

Professor

Department of Civil Engineering

Indian Institute of Technology Roorkee

Roorkee 247 667, Uttarakhand, INDIA



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

SAFD/NORTH/B/083123/782418

रजिस्ट्रार/आर.एच.कॉ/एनआर/सीएम/एनएम/2023/656/9739-42

मालिक का नाम एवं पता SGS Construction & Developers Pvt. Ltd. दिनांक/DATE: 14-09-2023
OWNERS Name & Address R-10, Green Park Main, New Delhi-110016 वैधता/ Valid Up to: 13-09-2031

ऊँचाई की अनुमति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र(एनओसी) No Objection Certificate for Height Clearance

1) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) द्वारा प्रदत्त दायित्वों के अनुक्रम तथा सुरक्षित एवं नियमित विमान प्रचालन हेतु भारत सरकार (नागर विमानन मंत्रालय) की अधिसूचना जी. एस. आर. 751 (ई) दिनांक 30 सितम्बर, 2015, जी. एस. आर. 770 (ई) दिनांक 17 दिसंबर 2020 द्वारा संशोधित, के प्रावधानों के अंतर्गत दिया जाता है।

1. This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order GSR751 (E) dated 30th Sep.2015 amended by GSR770(E) dated 17th Dec 2020 for safe and Regular Aircraft Operations.

2). इस कार्यालय को निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रस्तावित संरचना के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है।

2. This office has no objection to the construction of the proposed structure as per the following details:

अनापत्ति प्रमाणपत्र आईडी / NOC ID	SAFD/NORTH/B/083123/782418
आवेदक का नाम / Applicant Name*	Rajeev Sood
स्थल का पता / Site Address*	Village-Shabhad urf Mithepur, Khasra No. 44M, 45-49 and Village Akbarpur Behrampur Khasra No. 1-6, 6P, 7-17, 18M, 19P, 20M, 21P, 22-24, 28M, 29P-33P, 45M, Village-Mirzapur Khasra No. 112, 113P-115, 116M, 117P, 118M, 119, 120, 121P, 123-140, 141P, 142, 164M, 165M, 166P, Tehsil Ghaziabad, Uttar Pradesh 201001, Ghaziabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh
स्थल के निर्देशांक / Site Coordinates*	28 38 40.79N 77 23 43.12E, 28 38 39.08N 77 23 43.22E, 28 38 29.65N 77 23 44.61E, 28 38 26.28N 77 23 45.26E, 28 38 21.15N 77 23 47.38E, 28 38 17.53N 77 23 49.16E, 28 38 15.14N 77 23 51.57E, 28 38 29.29N 77 23 53.8E, 28 38 39.44N 77 23 57.3E, 28 38 18.28N 77 24 1.62E, 28 38 25.73N 77 24 1.7E
स्थल की ऊँचाई एएमएसएल मीटर में (औसतन समुद्र तल से ऊपर), (जैसा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया) / Site Elevation in mtrs AMSL as submitted by Applicant*	201.37 M
अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई एएमएसएल मीटर में (औसतन समुद्र तल से ऊपर) / Permissible Top Elevation in mtrs Above Mean Sea Level(AMSL)	406.37 M



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

SAFD/NORTH/B/083123/782418

*** जैसा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया / As provided by applicant***

3) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन है: -

3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

क) आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक को, प्रस्तावित संरचना हेतु अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई जारी करने के लिए प्रयोग किया गया है। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गए स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक की यथार्थता का ना तो उत्तरदायित्व वहन करता है, और ना ही इनको प्रमाणीकृत करता है। यदि किसी भी स्तर पर यह पता चलता है कि वास्तविक विवरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण से भिन्न है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अमान्य माना जाएगा तथा क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी। सम्बंधित विमान क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा एयरक्राफ्ट नियम 1994 (भवन, वृक्षों आदि के कारण अवरोध का विध्वंस) के अधीन कार्यवाही की जायगी।

a. Permissible Top elevation has been issued on the basis of Site coordinates and Site Elevation submitted by Applicant. AAI neither owns the responsibility nor authenticates the correctness of the site coordinates & site elevation provided by the applicant. If at any stage it is established that the actual data is different, this NOC will stand null and void and action will be taken as per law. The officer in-charge of the concerned aerodrome may initiate action under the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994",

ख) अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन में आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निर्देशांक को सड़क दृश्य मानचित्र और उपग्रह मानचित्र पर अंकित किया गया है जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है। आवेदक / मालिक यह सुनिश्चित करे कि अंकित किए गए निर्देशांक उसके स्थल से मेल खाते हैं। किसी भी विसंगति के मामले में, नामित अधिकारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

b. The Site coordinates as provided by the applicant in the NOC application has been plotted on the street view map and satellite map as shown in ANNEXURE. Applicant/Owner to ensure that the plotted coordinates corresponds to his/her site. In case of any discrepancy, Designated Officer shall be requested for cancellation of the NOC.

ग) एयरपोर्ट संचालक या उनके नामित प्रतिनिधि, अनापत्ति प्रमाण पत्र नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थल (आवेदक या मालिक के साथ पूर्व समन्वय के साथ) का दौरा कर सकते हैं।

c. Airport Operator or his designated representative may visit the site (with prior coordination with applicant or owner) to ensure that NOC terms & conditions are complied with.

घ) संरचना की ऊँचाई (सुपर स्ट्रक्चर सहित) की गणना अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई (ए एम एस एल) से स्थल की ऊँचाई को घटाकर की जायेगी। अर्थात्, संरचना की अधिकतम ऊँचाई = अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई (-) स्थल की ऊँचाई।

d. The Structure height (including any superstructure) shall be calculated by subtracting the Site elevation in AMSL from the Permissible Top Elevation in AMSL i.e. Maximum Structure Height = Permissible Top Elevation minus (-) Site Elevation.

च) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना, भारतीय एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, के सैक्शन 9-A तथा इसके अंतर्गत समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं तथा एयरक्राफ्ट नियम (1994 भवन, वृक्षों आदि के कारण अवरोध का विध्वंस) के अधीन है।

e. The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and any notifications issued there under from time to time including, "The Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994".

छ) कोई भी रेडियो/ टीवी एन्टीना, लाइटनिंग अरेस्टर, सीढ़िया, मुम्टी, पानी की टंकी अथवा कोई अन्य वस्तु तथा किसी भी प्रकार के संलग्नक उपस्कर पैरा 2 में उल्लेखित अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई से ऊपर नहीं जानी चाहिए।

f. No radio/TV Antenna, lightening arresters, staircase, Mumty, Overhead water tank or any other object and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation as indicated in para 2.

ज) विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु के 8 KM के भीतर तेल, बिजली या किसी अन्य ईंधन का उपयोग जो उड़ान संचालन के लिए धुएं का खतरा पैदा नहीं करता है, ही मान्य है।

g. Use of oil, electric or any other fuel which does not create smoke hazard for flight operation is obligatory, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point

झ) यह प्रमाणपत्र इसके जारी होने की तारीख से 8 साल की अवधि के लिए वैध है। एक बार रिवेलीडेशन की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि इस तरह का अनुरोध एनओसी की समाप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर किया जाए और प्रारंभिक प्रमाणपत्र 8 साल की वैधता अवधि के भीतर प्राप्त किया जाए।

h. The certificate is valid for a period of 8 years from the date of its issue. One-time revalidation shall be allowed, provided that such request shall be made within six months from the date of expiry of the NOC and commencement certificate is obtained within initial validity period of 8 years.

ट) भवन के निर्माण के दौरान या उसके बाद किसी भी समय स्थल पर ऐसी कोई भी लाइट या लाइटों का संयोजन नहीं लगाया जाएगा जिसकी तीव्रता, आकृति या रंग के कारण वैमानिक ग्राउन्ड लाइटों के साथ भ्रम उत्पन्न हो। विमान के सुरक्षित प्रचालन को प्रभावित करने वाली कोई भी गतिविधि मान्य नहीं होगी।

i. No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time, during or after the construction of the building. No activity shall be allowed which may affect the safe operations of flights.

ठ) आवेदक द्वारा विमानपत्तन पर या उसके आसपास विमान से उत्पन्न शोर, कंपन या विमान प्रचालन से हुई किसी भी क्षति के विरुद्ध कोई शिकायत/दावा नहीं किया जाएगा।

j. The applicant will not complain/claim compensation against aircraft noise, vibrations, damages etc. caused by aircraft operations at or in the vicinity of the airport.

ड) डे मार्किंग तथा सहायक विद्युत आपूर्ति सहित नाइट लाइटिंग (डीजीसीए भारत की वेबसाइट www.dgca.nic.in पर उपलब्ध) नागर विमानन आवश्यकताएं श्रंखला 'बी' पार्ट I सेक्शन-4 के चैप्टर 6 तथा अनुलग्नक 6 में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएंगी।

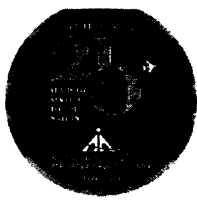
k. Day markings & night lighting with secondary power supply shall be provided as per the guidelines specified in chapter 6 and appendix 6 of Civil Aviation Requirement Series 'B' Part I Section 4, available on DGCA India website: www.dgca.nic.in

ढ) भवन के नक्शे के अनुमोदन सहित अन्य सभी वैधानिक अनापत्ति, संबंधित प्राधिकरणों से लेना आवेदक की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इस ऊँचाई हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने का उद्देश्य सुरक्षित एवं नियमित विमान प्रचालन सुनिश्चित करना है तथा इसे भूमि के स्वामित्व आदि सहित किसी अन्य उद्देश्य/ दावे के लिए दस्तावेज के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता।

l. The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans. This NOC for height clearances is only to ensure safe and regular aircraft operations and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc.

ण) इस अनापत्ति प्रमाणपत्र आईडी का मूल्यांकन I.G.I Airport, Meerut, NIAJEWAR, Rohini Heliport, Safdarjung Airport, Sikandrabad विमानक्षेत्रों के संबंध में किया गया है। यह अनापत्ति प्रमाणपत्र भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के विमानक्षेत्रों और अन्य लाइसेंस प्राप्त सिविल विमानक्षेत्रों, जो जी. एस. आर. 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के अनुसूची - III, अनुसूची - IV (भाग- I), अनुसूची- IV (भाग -2; केवल RCS हवाई अड्डे) और अनुसूची- VII में सूचीबद्ध हैं, के लिए जारी किया गया है।

m. This NOC ID has been assessed with respect to the I.G.I Airport, Meerut, NIAJEWAR, Rohini Heliport, Safdarjung Airport, Sikandrabad Airports. NOC has been issued w.r.t. the AAI Aerodromes and other licensed Civil Aerodromes as listed in Schedule - III, Schedule - IV (Part-I), Schedule- IV (Part-2; RCS Airports Only) and Schedule-VII of GSR 751(E) amended by GSR 770(E)



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

SAFD/NORTH/B/083123/782418

त) यदि स्थल रक्षा विभाग के विमान क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, जैसा कि जीएसआर 751 (ई) की अनुसूची-V में सूचीबद्ध है, तो आवेदक को रक्षा विभाग से अलग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होता है। जीएसआर 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के नियम 13 के अनुसार, आवेदकों को उन स्थलों के लिये, जो जीएसआर 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के अनुसूची- IV (भाग -2; आरसीएस हवाई अड्डों के अलावा) के रूप में सूचीबद्ध बिना लाइसेंस वाले विमान क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो संबंधित राज्य सरकार से भी अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता है।

n. Applicant needs to seek separate NOC from Defence, if the site lies within the jurisdiction of Defence Aerodromes as listed in Schedule – V of GSR 751 E amended by GSR770(E). As per rule 13 of GSR 751 E amended by GSR770(E), applicants also need to seek NOC from the concerned state government for sites which lies in the jurisdiction of unlicensed aerodromes as listed in Schedule-IV (Part-2; other than RCS airports) of GSR 751 E amended by GSR770(E)

थ) अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की किसी भी त्रुटि/व्याख्या की स्थिति में अंगरेजी अनुवाद ही मान्य होगा।

o. In case of any discrepancy/interpretation of NOC letter, English version shall be valid.

द) स्थल की ऊँचाई और/या संरचना की ऊँचाई के किसी भी विवाद में अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई एएमएसएल में ही मान्य होगी।

p. In case of any dispute with respect to site elevation and/or AGL height, Permissible Top Elevation in AMSL shall prevail.

क्षेत्र का नाम / Region Name:

पदनामित अधिकारी/Designated Officer	उत्तर/NORTH U. D. Baruah कृतपल दत्ता बरुआ/UTPAL DUTTA BARUAH महाप्रबंधक (एटीएम)/General Manager (ATM) उत्तरी क्षेत्र/ Northern Region भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/Airports Authority of India एन.ए.टी.एस.कॉम्प्लेक्स/इ.ग.अं हवाई अड्डा, नई दिल्ली-37 NATS Complex/IGI Airport, New Delhi-37
नाम/ पदनाम/दिनांक सहित हस्ताक्षर Name/Designation/Sign with date	
द्वारा तैयार Prepared by	Naveen Jain 14/09/23 DGM (ATM)
द्वारा जांचा गया Verified by	Yashwant Sharma 14/09/2023 JGM (ATM)

ईमेल आईडी / EMAIL ID : noc_nr@aai.aero

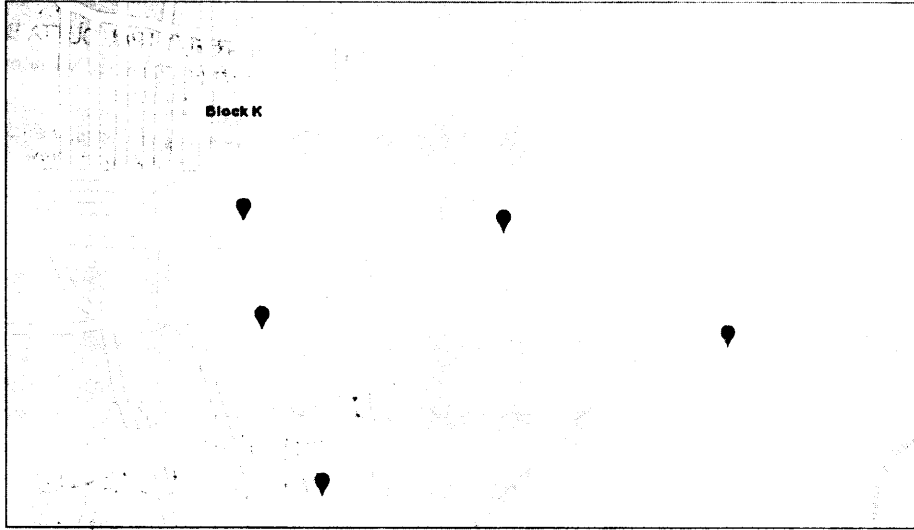
फोन/ Ph: 011-25653551

ANNEXURE/अनुलग्नक

Distance From Nearest Airport And Bearing/निकटतम विमानक्षेत्र से दूरी और बीयरिंग

Airport Name/ विमानक्षेत्र का नाम	Distance (Meters) from Nearest ARP/निकटतम विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से दूरी (मीटर में)	Bearing(Degree) from Nearest ARP/निकटतम विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से बीयरिंग (डिग्री)
I.G.I Airport	28880.1	72.9
Meerut	39644.31	221.98
NIAJEWAR	55130.94	337.34
Rohini Heliport	35015.21	108.8
Safdarjung Airport	19511.09	70.28
Sikandrabad	40570.03	310.8
NOCID	SAFD/NORTH/B/083123/782418	

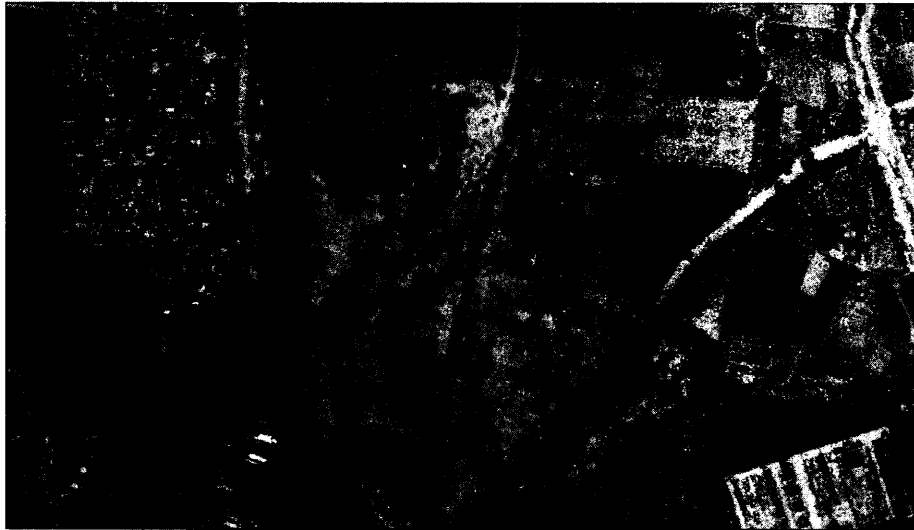
Street View



August 31, 2023

1:3,600
0 0.03 0.05 0.1 mi
0 0.04 0.06 0.17 km

Satellite View



August 31, 2023

1:3,600
0 0.03 0.05 0.1 mi
0 0.04 0.06 0.17 km